

खाड़ी युद्ध के दौरान भारत में शरण चाहने वाले भारतीयों को सीमा शुल्क में रियायत

1260. कुमारी सईदा खातून : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खाड़ी युद्ध के समय भारत में शरण चाहने वाले भारतीयों को उनके सामान पर उद्ग्रहणीय सीमाशुल्क के संबंध में कोई रियायत दी थी; यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या सरकार ने उनके पुनर्वास और आजीविका के लिए कोई योजना बनायी है; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) खाड़ी युद्ध के दौरान कुवैत और ईराक से लौटे यात्रियों को सीमाशुल्क क्लियरेंस देते समय एक उबार और सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाया गया था। जिन व्यक्तियों को भूमि-मार्ग से भाग कर भारत आने के लिए विवश होना पड़ा था, उनके द्वारा विदेश से लाई गयी कारों के लिए उन्हें सीमा-शुल्क के उद्ग्रहण से छूट दी गयी थी।

(ख) खाड़ी संकट के कारण खाड़ी के देशों से लौटे भारतीय राष्ट्रिकों के पुनर्वास के लिए अभी तक कोई योजना नहीं बनाई गई है।

प्रधान निदेशक-लेखा परीक्षा नई दिल्ली के कार्यालय में विशेष कार्य अधिकारी (ओ.एस.जी.) के पदों का रिक्त होना

1261. कुमारी सईदा खातून : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सन्न है कि प्रधान निदेशक, लेखा परीक्षा, नई दिल्ली के कार्यालय में विशेष कार्य अधिकारी (नई दिल्ली, नगरपालिका और दिल्ली नगर निगम) का पद पिछले पदधारी के सेवानिवृत्त होने के समय से लेकर अब तक रिक्त पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या प्रधान निदेशक लेखा परीक्षा (दुतावास) का एक अन्य पद का कार्य प्रधान निदेशक, लेखा परीक्षा (उत्तर रेलवे), नई दिल्ली को दिया गया है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) भारत में लेखा परीक्षा कार्यालयों के कितने अधिकारियों को दोहरे पदों का कार्य दिया गया है और रिक्त पदों का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शान्ताराम पोद्दुखे) : (क) से (घ) विशेष कार्य अधिकारी (नई दिल्ली नगर पालिका और दिल्ली नगर निगम) का पद इस समय प्रास्थगित रखा गया है। भारतीय लेखा-परीक्षा और लेखा विभाग में प्रधान निदेशक, लेखा परीक्षा के स्तर के 90 से अधिक पद हैं। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा इन पदों को भरने के लिए प्रधान निदेशक, लेखा परीक्षा के स्तर के अधिकारियों की तैनाती अधिकारियों की उपलब्धता एवं उपयुक्तता तथा प्रशासनिक आवश्यकताओं के आधार पर की जाती है। इस प्रक्रिया में प्रशासनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समय-समय पर कुछ पदों का अतिरिक्त प्रभार कुछ अन्य अधिकारियों को दे दिया जाता है।

Indian Cost Accounts Service Personnel in the Ministry of Petroleum and Natural Gas

1262. SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the rotational policy approved with regard to the posting and transfer of Indian Cost Accounts Service Personnel, has not been strictly followed in the case of persons posted in the Ministry of Petroleum and Natural Gas;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) What is the number of posts of the aforesaid cadre that are still vacant in the Ministry of Petroleum and Natural Gas?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI SHANTARAM POTDUKHE):

(a) and (b) The guidelines for the rotational policy for transfer of the officers of Indian Cost Accounts Service were approved in August, 1989. At that time two posts, one each of Deputy Director and Assistant Director in the Ministry of Petroleum & Natural Gas were included in the ICAS. Of these, the post of Deputy Director was lying vacant at the time of announcement of the guidelines and was filled in June, 1990 by promoting the Assistant Director already working in the Ministry of Petroleum & Natural Gas. Although he had completed more than 4 years in that Ministry, he was allowed to continue in view of the fact that he was due for superannuation in less than a year's time.

(c) Two posts, one each of Deputy Director and Assistant Director, included in the ICAS, are lying vacant since 1-6-1991 and 28-6-1990 respectively.

परीक्षाओं की जाली अंक-सूचियों की बिक्री

1263. श्रीमती वीणा वर्मा :

श्री कपिल वर्मा :

कुमारी सईदा खातून :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कोशिश करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान उन समाचारों की ओर गया है जिनके अनुसार दिल्ली में केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जाली अंक सूचियाँ बेची जा रही हैं, यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ;

(ख) क्या यह सच है कि कुछ

कालेजों में कुछ छात्रों को इन जाली अंक सूचियों के आधार पर प्रवेश दिया गया है; यदि हाँ, तो इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है; और

(ग) इस धोखाधड़ी को रोकने के लिए सरकार क्या कड़े कदम उठाने का विचार कर रही है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) जी, हाँ। कुछ समाचार पत्रों में केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जाली अंक सूची से संबंधित रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी। तथापि, सरकार को किसी विशेष मामले की सूचना नहीं मिली है।

(ख) और (ग) दिल्ली विश्व-विद्यालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, जाली अंक सूची के आधार पर किसी भी कालेज में किसी विशेष दाखिले के मामले की सूचना नहीं मिली है। जब भी फाई का ऐसा कोई मामला समने आयेगा, उसे कानून के अनुसार निबटाया जायेगा।

वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय परीक्षा प्रमाण-पत्र की अंक-सूचियों के संकलन में गलतियाँ

1264. श्री कपिल वर्मा :

कुमारी सईदा खातून :

सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कोशिश करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की लापरवाही की वजह से वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय परीक्षा प्रमाण-पत्र, 1991 की अंक-सूचियों में उत्तीर्ण शब्द की जगह कम्पार्टमेन्ट शब्द छप गया है, यदि हाँ, तो ऐसे कितने प्रमाण पत्र हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की इस लापरवाही की वजह से कई छात्रों को कालेज में दाखिला नहीं मिल सकेगा, यदि हाँ, तो ऐसे छात्रों की कुल संख्या कितनी है;